

मुख्यालय :-

सेतु भवन, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग,

लखनऊ - 226001

फोन : 0522-2205815, 2205807

फैक्स : 0522 - 2209798



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001



(राज्य सरकार का उपक्रम)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक

उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०

सेतु निर्माण इकाई,

आवास सं०-6, सेतु निगम कालोनी

सिविल हॉस्पिटल के सामने

निकट घास मण्डी, बाजोरिया रोड

सहारनपुर-247001 (उ०प्र०)

E-mail :-bcu.saharanpur@gmail.com

GSTIN NO. 09AAACU3258KSZA

पत्रांक-5187/4BR

/स०पुर/2019-20

दिनांक: 06/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर ग्राम-कवाल में अपर गंगा कैनल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एस०एच०-12ए) के किमी०-15 से 16 के किनारे 0.31 हे० सुरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 21 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी०/यू०पी०/०६/९७/२०१९/एफ०सी०/४३२, दिनांक २९.११.२०१९ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 11सी-1112/11सी-FP/UP/Road/35985/2018 लखनऊ, दिनांक ०४.१२.२०१९

महोदय,

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है, जिसके क्रम में सैद्धान्तिक अनुमति की शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

शर्त संख्या-1- शर्त की अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-2- शर्त के अनुपालन में 310 वृक्षों के रोपण एवं आगामी 10 वर्षों के रखरखाव हेतु वांछित धनराशि 2,70,530.00 कैम्पा निधि में जमा करा दी गई है।

शर्त संख्या-3- कार्यवाही आपके द्वारा की जानी है।

शर्त संख्या-4(क)- शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित 0.31 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की वांछित धनराशि रू० 1,94,060.00 कैम्पा निधि में जमा करा दी गई है।

शर्त संख्या-4(ख)- शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित 0.31 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित परियोजना के सापेक्ष ऑन लाईन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि निम्नानुसार जमा करा दी गई है। ई-रसीद एवं चालान की प्रति संलग्न है।

शर्त संख्या-4(ग)- शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-5- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-6- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-7- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-8- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-9- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-10- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-11- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-12- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या-13- कार्यवाही आपके द्वारा की जानी है।

शर्त संख्या-14- शर्त की अनुपालन में वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(जे०एस० सयाना)

परियोजना प्रबन्धक

सेतु निर्माण इकाई

उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-01

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित


14/01/2020

(सुरज)
एध्यापय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


6.1.20

(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

3108 924 P. 1000

4-11-11-4

REC- 260511214-4-75

मोहम्मद अहमद: १४ अक्टूबर, १९९३

11/11/11

पन्ना जीस । संस्थापक । अक्टोबरी, १९७२ । अक्टोबरी संख्या ५३ सन् १९७२।

श्री दारा ५ की उप दारा ११ के संघर्ष। श्री दारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समस्त क्षेत्रीय वन संस्थाओं और क्षेत्रीय निदेशकों को उपर मुख्य वन्य जीव प्रतिमातक, प्रशासकीय वन अधिकारियों और प्रशासकीय निदेशकों को उप मुख्य वन्य जीव प्रतिमातक, सहायक वन संस्थाओं को वन्य जीव प्रतिमातक और वन रेंजों, उप रेंजों और वन दरोवाओं। जारेस्टर्स को सहायक वन्य जीव प्रतिमातक के रूप में, अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करो। १।

ENTREPRENEUR

गो-विन्दर-सिंह
पुष्पा-सचिव ।

सं. प्र- 2885 । 1/14-4-93-तहसिलगां।

प्रतिनिधि निर्देशक, मुख्य एवं सहायक आगामी, उत्तर प्रदेश, तबान्त्र को
अहिंसा अगुवाई संस्था का आग्रह है कि वे अपना का अध्यापन को
उत्तर प्रदेश आचार्य मंडल के विद्यार्थी परिषद के भूत-4 हाउस 181 में
आगामी वर्ष में प्रकाशित करने का कष्ट करें और उसकी 1000 प्रतिमा सात के
धन अनुभाग-4 को भेज दें ।
आज्ञा है

मार्ग है

141 नगर - दिल्ली
अन नमिषा

REG- 111/4-493-REG/111

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुसमाप्त एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 111 प्रथम वन नरदाक उत्तर प्रदेश, तक्षान्ता ।
 121 अथ वन नरदाक उत्तर प्रदेश, तक्षान्ता ।
 131 अथ वन नरदाक उत्तर प्रदेश, तक्षान्ता ।
 141 अथ वन नरदाक उत्तर प्रदेश, तक्षान्ता ।
 151 अथ वन नरदाक उत्तर प्रदेश, तक्षान्ता ।
 161 अथ वन नरदाक उत्तर प्रदेश, तक्षान्ता ।
 171 अथ वन नरदाक उत्तर प्रदेश, तक्षान्ता ।

ИТЭЛ

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए

Photocopy
attached

14/01/2020
(यूज)
सुभाषिण्डिराज
सिन्धुवादी वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/ROAD/35985/2018 FP/UP/ROAD/35985/2018) 0 Ha. PF Land Proposed to transfer, for construction of bridge and approach road for the Muzaffarnagar-Path Roadh (SH-12A) Km. 16 near village kawal at	ROAD359852018085	6135985085	29 Nov 2019	CA: 270530/- Addl 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Addl 0/-, PA: 0/- Zone: 194060/- 0: 0/- NPV: 0: 0/- 0: 0/- 0: 0/- Total : 464590/-	Paid	Fund Demand Verified by : 18 Dec : 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 23 Dec : 2019 On Transaction Date : 24 Dec : 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121114127121206GNO0.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD359852018085)

प्रति हस्ताक्षरित

14/12/20

(जे०एस० सयाना)

परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
समस्तीपुर



Open Government Data (OGD) Platform India

Meity



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

Power To Empower

myGov

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

The national portal of India
india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

S://DATA.GOV.IN/)

Result Page



Payment Order ID - 000211987035 verified successfully. UTR No. - IOBAR52019122400480382

OK

प्रतिहस्ताश्रित

14/01/2020

(सुरज)

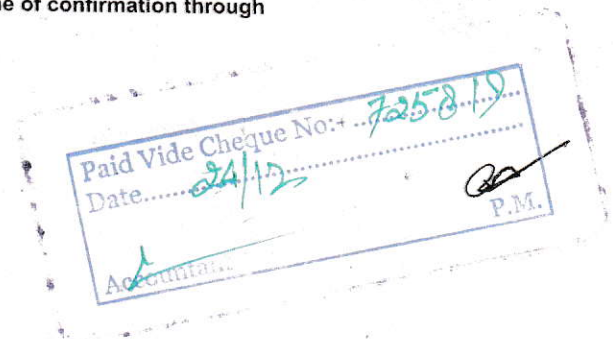
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

6.1.20
(J. S. Sayana)
J. Project Manager
BCU - Saharanpur

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-12-2019	
Agency Name.	UTTAR PRADESH STATE BRIDGE CORPORATION LTD CONSTR
Application No.	6135985085
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/97/2019/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	UTTAR PARDESH STATE BRIDGE CORRPARATION LTED CONSTSaharanpur
Amount(in Rs)	464590/-
Amount in Words :Four Lakh Sixty-Four Thousand Five Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906135985085 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only <i>This challan is valid only for seven days.</i>	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-12-2019	
Agency Name.	UTTAR PRADESH STATE BRIDGE CORPORATION LTD CONSTR
Application No.	6135985085
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/97/2019/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	UTTAR PARDESH STATE BRIDGE CORRPARATION LTED CONST Saharanpur
Amount(in Rs)	464590/-
Amount in Words :Four Lakh Sixty-Four Thousand Five Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906135985085 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only <i>This challan is valid only for seven days.</i>	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in



6.1.20
(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

प्रति हस्ताक्षरित

14/01/2020
(सूरज)
अभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-4 (ग)

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो, बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा जमा की जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित


14/01/2020

(शरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


(00एस0 सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सहारनपुर

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-5

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० सेतु निगम लि०, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि०मी० 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण/उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० के व्यय पर करने हेतु वचनबद्ध है। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिख दी जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित


14/01/2020

(सुरज)
प्रभागिय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


14.01.20

(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

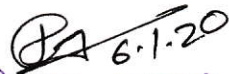
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-6

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चैनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में भू-क्षरण एवं जल जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाही करने हेतु वचनबद्ध है।

प्रतिदस्तावेजित


14/01/2020
(~~शरज~~)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक-यानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


6.1.20
(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सद्वारनपुर

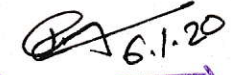
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-7

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० सेतु निगम लि०, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि०मी० 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिदत्तारित


14/01/2020
(यूएन)
प्रधानीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


6.1.20
(ले०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-8

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र 11-306/2014-एफ0सी0(पी0टी0), दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित


14/01/2020

(सुरज)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-9

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० सेतु निगम लि०, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि०मी० 15 व 16 के मध्य (चैनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के प्रकरण में मक डिस्पोजल, परियाजना व्यय पर करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० वचनबद्ध है।

प्रतिदत्ताश्रित


14/01/2020

(सूज)
प्रभागिय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


6.1.20
(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

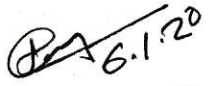
शर्त संख्या-10

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चेनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना के स्थल में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन न करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रतिदत्ताश्रित


14/01/2020

(सुरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


(जे०एस० सयाना)

परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-11

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चैनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी आवगमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त नये मार्ग का निर्माण न करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताशरित


14/01/2020
(यूज)
प्रभागीय निदेशक
सांख्यिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

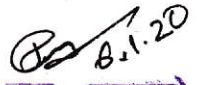
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-12

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चैनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना हेतु वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वचनबद्ध है।

प्रति हस्ताक्षरित


14/01/2020
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक, ग्रामीण प्रभाग
मुजफ्फरनगर


8.1.20
(एस० सयाना)
रियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर

ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road /35985/2018 के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/97/2019 /एफ0सी0 /432 दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या

शर्त संख्या—13

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सेतु निगम लि० द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या—12ए (मुजफ्फरनगर—जानसठ मार्ग) कि०मी० 15 व 16 के मध्य (चैनैज 15.730 से 15.173 एवं 15.244 से 15.344 तक) ग्राम—कवाल, तहसील—जानसठ, जिला—मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना में संरक्षित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है, अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।



(सूरज)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/35985/2018) के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/97/2019/एफ0सी0/432, दिनांक 29.11.2019 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-14

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 सेतु निगम लि0, द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-12ए (मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग) कि0मी0 15 व 16 के मध्य (चैनेज 15.730 to 15.173 & 15.244 to 15.344) ग्राम - कवाल, तहसील- जानसठ जिला मुजफ्फरनगर, ऊपरी गंगा नहर पर पुल निर्माण एवं पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी परियोजना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर दी जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित


14/01/2020
(सुरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक, वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


6.1.20
(जे०एस० सयाना)
परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
सहारनपुर